



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(*Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner*)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511



Dr. Mahesh Datt
DEAN

No. F./Acctt/ACL/2024/1292

Mob. No. - 9928402564
Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

Date: 03-02-2024

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, लालसोट के वित्तीय वर्ष 2024-25 (01 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025) में निम्न कार्यों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों/सेवाप्रदाताओं संस्थाओं/कृषकों जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाइसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ द्वि विड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 20-02-2024 को प्रातः 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुये निविदा फार्म प्रातः 11:30 बजे तक जमा कराने होंगे अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 12:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय, लालसोट की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

| क्र. सं. | कार्य विवरण | अनुमानित राशि (₹) | 2 प्रतिशत धरोहर राशि |
|----------|--|-------------------|---|
| 1. | कृषि महाविद्यालय, लालसोट में आफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्युटर ऑपरेटर, बागवान, चौकिदार, स्वीपर, कृषि कार्य, छात्रावास कार्य एवं अन्य कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु। | 9,90,000.00 | 19800.00 (अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक) |

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि आप स्वयं अथवा आपके नामित सदस्य को दिनांक 20-02-2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजने का श्रम करें।
2. कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
3. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in तथा <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
4. DDO, कृषि महाविद्यालय, लालसोट।
5. रक्षित फाइल।
6. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय, लालसोट, नगर पालिका, लालसोट ग्राम पंचायत डीडवाना।

अधिष्ठाता



COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(*Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner*)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) - 303511



प्रपत्र - अ

श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र

1. के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता.....
.....
.....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट
4. सन्दर्भ :
5. हम निविदा सूचना संख्या दिनांक की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये हैं।
6. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 500/- डीमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर चैक संख्या दिनांक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में संलग्न है या कार्यालय में जमा करा दिया है।
7. धरोहर राशि 19800/- डीमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर चैक संख्या दिनांक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में संलग्न है।
8. निविदादाता का घोषणा पत्र संलग्न है।
9. जी.एस.टी. नं. छाया प्रति संलग्न है।
10. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
11. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ई.एस.आई. व ई.पी.एफ. पंजीकरण, पैन कार्ड सलग्न है।
12. अनुभव प्रमाण पत्र, ओसत टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. समस्त दस्तावेज तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) में संलग्न है। तथा वित्तिय बिड लिफाफा नं. 2 में संलग्न है और दोनों लिफाफे एक सीलबन्द लिफाफे में बन्द है। तकनीकी बिड में सफल होने पर वित्तिय बिड खोली जायेगी।

नोट: निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, लालसोट

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा प्रपत्र - 1

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट पर विभिन्न कार्यों के लिए उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

| क्र.सं. | कार्य का विवरण |
|---------|---|
| 1 | कार्य का नामः— कृषि महाविद्यालय, लालसोट के परिसर पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा। |
| 2 | बजट मदः— कृषि महाविद्यालय, लालसोट |
| 3 | कार्य की अनुमानित अवधि: 01-03-2024 से 28.02.2025 |
| 4 | निविदा संदर्भ :— कृषि महाविद्यालय, लालसोट पर विभिन्न कार्यों के लिए उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा। |
| 5 | निविदा प्रपत्र :— एक |
| 6 | निविदा प्राप्त करने का समय :—कार्यालय कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे सायं 05:00 बजे तक |
| 7 | निविदा प्राप्त करने का अन्तिम तिथि व समय :—दिनांक 20.02.2024 को सुबह 10.30 बजे |
| 8 | निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि:—दिनांक 20.02.2024 को प्रातः 11:30 बजे तक |
| 9 | निविदा खोलने की तिथि:—दिनांक :— 20.02.2023 को दोपहर 12:00 बजे |
| 10 | निविदा खोलने का स्थानः— कृषि महाविद्यालय, लालसोट |
| 11 | पत्र व्यवहार हेतु पता :— अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट |
| 12 | फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नहीं है। |
| 13 | दरें प्रपत्र-2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है। |

कृषि महाविद्यालय, लालसोट में वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न कार्यों हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

- बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा।
(संलग्न लिफाफा नं.1 में रखे)

| क्र. सं. | विवरण | रजि. सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | संलग्नक क्रमांक |
|----------|---|----------|------|----------------|-----------------|
| 1 | राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970) | | | | |
| 2 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 | | | | |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 | | | | |
| 4 | वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. | | | | |
| 5 | आयकर (पैन नम्बर) | | | | |
| 6 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत | | | | |
| 7 | फर्म का पूर्ण पता मय दुरभाष व ई मेल | | | | |

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर


अधिष्ठाता

श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तेः—

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु. 19800/- तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- का नकद/DD/BC अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड प्रपत्र 2 यानि निविदादाता द्वारा दिये गये मजदूरी दर प्रतिदिन रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को होगा।
7. निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी।
8. कार्यादेश के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी। तथा श्रमिकों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
9. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से श्रमिकों की आपूर्ति करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्च पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेंगी।
10. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 20.02.2024 को प्रातः 10.30 बजे तक कृषि महाविद्यालय, लालसोट से प्राप्त किए जाकर दिनांक 20.02.2024 को प्रातः11.30 बजे बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 20.02.2024 को दोपहर 12.00 बजे उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
12. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान् कृषि महाविद्यालय, लालसोट स्पष्ट लिखकर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
13. प्रस्तावित दर अंकों में स्पष्ट लिखकर देना होगा किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त दरे कार्यादेश देने के एक वर्ष तक तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
14. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
15. निविदादाता/फर्म पिछले तीन साल का टर्न ऑवर ('प्रपत्र अ') प्रमाण-पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
16. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तों कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 20-02-2024 को प्रातः 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा भरे हुये निविदा फर्म प्रातः 11.30 बजे तक जमा कराने होंगे अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किये गये फर्म के साथ निविदा शुल्क रूपये 500/- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफा नम्बर एक में रखना होगा। कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. अगर निविदादाता/फर्म अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटा दिया जावेगा और जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
19. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
20. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।



21. निविदा सूचना में प्रकाषित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तों निविदा का भाग मानी जाएगी ।
22. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी ।
23. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी ।
24. कृषि महाविद्यालय, लालसोट द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
25. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर. /श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर, दिनांक 30.07.2021 के अनुसार लागू होगी ।
26. निविदा निर्धारित पत्र में ही भरनी होगी ।
27. यदि इस संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवध्यकता होगी तो । ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय—समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी ।
28. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।
29. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा । सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण के बाद इस संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा । प्रत्येक माह श्रमिकों के भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी ।
30. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने की शिकायत पर महाविद्यालय कमेटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से कृषि महाविद्यालय, लालसोट में शस्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी । भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा ।
31. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।
32. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करना होगा । जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा । संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ।
33. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा ।
34. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा ।
35. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर यदि वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि नियमानुसार लगती है तो इसे अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी । संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी । वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा । उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
36. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा । श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
37. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी । इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्नूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
38. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर और्धांगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को इटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटीनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
39. फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं GR&AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/शस्ति /पेनल्टी वसूली जावेगी ।
40. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
41. चौकीदार/लेवर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा । अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा ।



42. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र लालसोट होगा।
 43. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
 44. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5 (6)/न्यू.म./ श्रम/2000/ पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी एवं नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।
 45. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।
 46. कार्यों का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
 47. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
 48. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यों को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वयं के मासिक भुगतान में से करेगी।
 49. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र में दी गई दरें 28 फरवरी, 2025 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रवलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
 50. महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
 51. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।
 52. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा।
 53. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
 54. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाएंगे जाएंगे व नियोजित करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिकों को हटाया जा सकता है।
 55. मैं उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने हेतु पाबन्द रहूँगा।
 56. सफल निविदादाता को अद्विकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल के लिए सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता का प्रमाण देना होगा।
 57. राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने पर संशोधित दरें लागू होंगी।
 58. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा डी गयी दरों में यदि समानता होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
 59. अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग फर्मों के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।
 60. उक्त शर्तों को अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहर करदी है।
 61. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर कुछ भी सर्विस चार्ज नहीं दर्शती है तो ऐसी फर्म को Nonresponsive माना जायेगा।
 62. इस टैंडर के लिए फर्म का औसत तीन साल का टर्न ओवर Rs. 30.00 लाख होना जरूरी है।
 63. सरकारी संस्थान में पिछले तीन वर्षों में फर्म का कार्य सन्तोषजनक होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाना होगा।
 64. निविदा खुलने के समय निविदादाता उपस्थित हो सकते हैं।
 65. संवेदक को लड़कों के छात्रावास में पुरुष तथा कन्या छात्रावास में महिला सफाई कर्मी लगाने होंगे।
 66. सफल निविदादाता उपरोक्त शर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु0 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र (वर्क एग्रीमेन्ट) लिखकर कार्यालय में देना होगा। तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट के पक्ष में जमा कराना होगा। धरोहर राशि को इसमें समायोजित किया जा सकता है। इस राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
 67. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
 68. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
 69. श्रमिकों को कृषि महाविद्यालय, लालसोट में ऑफिस कार्य, छात्रावास, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्युटर ऑपरेटर, स्टोर, चौकीदारी, साफ-सफाई, कृषि कार्य, एवं अन्य सम्बंधित कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
 70. बिल का भुगतान माह पूरा होने के पश्चात् कोष-कार्यालय जोबनेर से बिल पास होने के बाद ऑनलाईन किया जावेगा। अतः खातों की समस्त सूचना उपलब्ध करवानी होगी।
 71. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आबीठेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 72. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
 73. संवेदक को बिल के साथ गत माह का सम्बन्धित कार्मिक का बैंक भुगतान स्टेटमैन्ट, ई.पी.एफ व ई. एस. आई का ईसीआर संलग्न करना होगा। इसके अभाव में बिल प्रोसेस नहीं होगा।
- नोट – निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी—

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टन ओवर (रु.)

वर्ष: 2020-21

वर्ष: 2021-22

वर्ष: 2022-23

योग

ओसत टन ओवर

सी.ए. द्वारा प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक



निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि मैंने / हमने प्लेसमेंट कार्य / सेवा इकाई की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य करने / होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम / कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है ।

मै/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं, कि मेरा / हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा विषयान्तर्गत मुझे/ हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement, Act 2012

Appeal No..... of

Before the (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s) :

(i)

(ii)

(iii)

2. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

3. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

4. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Ground of appeal:.....

.....
.....

.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....

.....

Appellant's signature :

Place:

Date:

Format of Affidavit

प्रपत्र "र"

I _____ S/o _____ Aged _____ Yrs _____

Residing at _____

Proprietor/Partner/Director of M/s _____ do hereby solemnly affirm and declare that:

- a. My/Our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center..... The acknowledgement No. is dated and has been issued for manufacture/supply of following items.

Name of Item

- i)
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)

- b. My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing/supplying the above items.
c. My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture/supply the above noted items.

Signature of Proprietor/ Director
Authorized Signatory with
Rubber Stamp and date

Date _____

Place _____

Verification

I _____ S/o _____
Aged _____ Yrs _____ Residing at _____

.o Proprietor/Partner/Director of M/s _____ verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

ht

कृषि महाविद्यालय, लालसोट

(लिफाफा नं. 2 में रखे)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

क्रमांक: एफ / लेखा / कृमला / 2024 / 1292

दिनांक: 03.02.2024

वित्तीय निविदा प्रपत्र – ब

खुली निविदा की वित्तीय बिड में दरें निम्नानुसार ही भरे।

| क्र. सं. | कार्य की प्रकृति | श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी मय संख्या | | सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर | EPF दर (13.00%) | ESI दर (3.25%) | सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि | कुल राशि प्रति 8 घण्टे (4+5+6+7=8) | |
|----------|-------------------|---|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार | न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अकुशल श्रमिक | अकुशल श्रमिक | 259/- | | | | | | |
| 2 | अर्द्धकुशल श्रमिक | अर्द्धकुशल श्रमिक | 271/- | | | | | | |
| 3 | कुशल श्रमिक | कुशल श्रमिक | 283/- | | | | | | |
| 4 | उच्चकुशल श्रमिक | उच्च कुशल श्रमिक | 333/- | | | | | | |

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि पूर्ण पता एवं सोबाईल नम्बर

